International Journal of Multidisciplinary Education and Research
www.multidisciplinaryjournals.in
ISSN: 2455-4588
Received: 13-05-2023, Accepted: 28-05-2023, Published:13-06-2023
Volume 8, Issue 2, 2023, Page No. 69-73

वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा

राजकुमार सिंह
सहायक अध्यापक, उच्च प्रा०वि० अहमदपुर नयागांव (1–8), ब्लॉक व जनपद–हापुड़, उत्तर–प्रदेश, भारत

सारांश
शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों की प्रवृत्तियों का शोधन और परिष्कार होता है जिससे उसका व्यवहार संतुलित एवं नियंत्रित होता है। व्यक्ति की आदतों के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अर्थात् विद्यार्थी जैसी शिक्षा पाते हैं उसी के अनुरूप उनमें आदतों का निर्माण होता है। अशिक्षित व्यक्ति को वर्तमान समाज में अच्छे नजरिये से नहीं देखा जाता है। इसलिए प्रत्येक माता–पिता अपने बच्चे को शिक्षित करने का पूरा प्रयास करते हैं। शिक्षा का मुख्य आधार प्राथमिक शिक्षा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावक अपने निजी कारणों से बच्चों को प्राथमिक स्तर तक विद्यालय में बालको को पढ़ाने के बाद खेती या अन्य रोजगारपरक कार्यों में लगा देते हैं। इस कारण बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के प्रयास में कमी आती हैं। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही है और काफी बजट भी खर्च किया जा रहा है किन्तु परिणाम अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं है। इसके लिए दोषपूर्ण सरकारी नीतियों, शिक्षण प्रणाली, अध्यापकों की अध्यापन कार्य के प्रति धारणाएँ और विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय व सामाजिक समस्याएं जिम्मेदार है। शिक्षा समाज का संस्थापक भाग है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। सारांश में प्रस्तुत शोध आलेख में शोधार्थी ने इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की है। शिक्षा को क्षमताओं में अभिवृद्धि स्वतंत्रता का विस्तार हर तरह के भेदभाव शोषण के प्रतिकार करने का उपकरण माना जाता है। इस पत्र में यह समस्या से संबंधित गहन चिंतन मनन भी किया गया है और सरकारी विभिन्न योजनाओ का तुलनात्मक वर्णन करते हुए समस्या के संभावित समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं।

मूल शब्दः प्राथमिक, सामाजिक, शिक्षा, विश्लेषण, नीति, बेरोजगारी, चुनौतियां, अनुच्छेद

प्रारंभिक शिक्षा, शैक्षिक नीति निर्धारण तथा योजना का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है कुछ सीखकर अपने को पूर्ण बनाना। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व निर्माण तथा सामाजिक व आर्थिक प्रगति का मापदण्ड होती है। हम सभी जानते हैं शिक्षा हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। शिक्षा का सरोकार राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकारों से है। स्वतंत्रता के पश्चात से भारत में राज्य सरकारों के पास शिक्षा प्रदान करने का दायित्व रहा है। 1986 में केन्द्र सरकार ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत से प्रायोजित कार्यक्रम आरंभ किए जिसके फलस्वरूप देश में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति में सुधार आया।

डॉ० वी०के० शर्मा व संगीता देवी ने ठीक ही लिखा है कि शिक्षा समाज का एक संस्थागत भाग है वह समाज में तीन प्रमुख कार्य करती है। प्रथम वह आधुनिक समाज का विश्लेषण करती है, द्वितीय वह उभरते हुए समाज को चिन्हित करती है, तृतीय उन समस्त शक्तियों को पहचानती है और मजबूती प्रदान करती है जो उभरते हुए समाज को साकार कर सके। इस शोध लेख के द्वारा हम जानेंगे कि पूर्व व वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति क्या है। इस संदर्भ में हम कहाँ खड़े हैं और राज्यों के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए क्या–क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस इकाई में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ढूँढने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त इस इकाई में आप उन परिस्तिथियों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण को प्रभावित किया है।

प्राचीनकालीन शिक्षा व्यवस्था

वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जहां विशेष धर्म और जाति के छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, पूर्णता आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित थी। वह केवल बालक का स्वस्थ व सर्वांगीण विकास करने में सहायक थी। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। शिक्षक शिक्षा के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी न हीं कोई निर्धारित पाठ्यक्रम था। शिक्षा आजीविका का साधन होकर जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए आवश्यक मानी जाती थी। गरीब परिवारों के लिए भरण पोषण और परिवार को चलाने की समस्या प्राथमिक स्तर पर थी और शिक्षा द्वितीय स्तर पर, या यूं कहें कि शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं था। भारत में जो बेरोजगारी है, उसमें छुपी हुई बेरोजगारी बहुत बड़ी है। जिस काम के लिए जितने लोग चाहिए उससे अधिक लोग उस काम में लगे हुए हैं। वहीं अब आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में संविधान द्वारा सभी जाति और धर्म के बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1964 के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964–66 तथा 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक थी।

प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं

प्राथमिक शिक्षा जीवन में वही महत्व है जो दृढ एवं स्थायी भवन के निर्माण में उसकी आधारशिला का शिक्षा मनुष्य को मानवता सिखाने वाला प्रथम सोपान हैं। शिक्षा के विभिन्न स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा ही समस्त शिक्षा की आधारशिला है। किसी भी राष्ट्र के विकास के जितना महत्व प्राथमिक शिक्षा का है। उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नहीं है। राष्ट्रीय विचार धारा एवं चरित्र का निर्माण करने में इसका जितना महत्वपूर्ण स्थान है उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षणिक गतिविधि का नहीं है। 1898 में तत्कालीन बड़ौदा नरेश ने यह घोषणा की कि उनके राज्य में अमरेली नगर के एक क्षेत्र के हाथों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगा। उन्ही के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1990 में गांवों में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। इसी वर्ष नियम बनाकर सारे राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी। बड़ौदा नरेश के प्रयासों से प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने भी तत्कालीन सरकार से प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की माँग की। प्रारम्भ में उन्हें असफलता मिली किन्तु उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप

1917 में ब्रिटिश प्रशासन को यह महसूस हुआ कि स्वशासन संस्थाओं को चलाने के लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। अतः प्रान्तीय सरकारों ने इस दिशा में कुछ कार्य किये। इस प्रकार बम्बई, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति 1930 तक निरन्तर होती रही। किन्तु 1931 से 1937 तक इसके विकास में अवरोध उत्पन्न हो गया। इसके दो मुख्य कारण थे पहला विश्व व्यापी आर्थिक अवसाद तथा दूसरा 1927 में हांग समिति की नियुक्ति तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का प्रस्ताव। फलस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्ति तक देश में बालकों के लिए 229 नगरों व 10,017 ग्रामों में तथा बालिकाओं के लिए दस नगरों में व 1,404 ग्रामों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो चुकी थी। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान की धारा 45 में यह घोषणा की गई थी कि दस वर्ष के अन्दर 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दी जायेगी।

शिक्षा की चुनौतियां

समानता के व्यवहार के लिए समान अवसर के संबंध में औपचारिक दृष्टिकोण अपर्याप्त है। आज एक कारगर दृष्टिकोण अपनाए जाने की ज़रूरत है, ताकि परिणामों में समानता आए, और जिसमें विविधता, विभेद और असुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। शिक्षा के चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा 1951 से 1985 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण करते हुए उसे गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया गया है। इस दस्तावेज पर विश्वव्यापी बहस शुरू हुई और सभी प्रदेशों के विंध्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है केंद्र सरकार ने इन सुझावों पर नई शिक्षा नीति तैयार की और इसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया यह भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की परियोजना विधियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

इस नवीन शिक्षा नीति ने 1968 की प्रथम राष्ट्रीय नीति का अनुसरण किया इसमें शिक्षा को जीवन से जोड़ने ग्रामीण क्षेत्र में 90% लोगों को प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता कराने का प्रावधान रखा गया। शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सार्वजनिक नामांकन व नियमित शिक्षा प्राप्ति तथा शिक्षा गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर बल दिया गया। प्रणाली का आज से किसी निश्चित स्तर तक जाति पंथ स्थान लिंग भेद के बिना सभी विद्यार्थियों की एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच बनाना शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने हेतु शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्य मानते हुए इसे ऐसा आर्थिक निवेश कहा गया जो समाज और व्यक्तियों के वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण करती है। शिक्षा नीति में सभी आने वाली शैक्षिक असमानता को दूर करने तथा समान अवसरों से वंचित व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर समान अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया। स्त्रियों की शिक्षा में आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए स्त्रियों में निरक्षरता को समाप्त करने में प्रारंभिक शिक्षा तक उनकी पहुंच व शिक्षा प्राप्ति में बाधाओं को हटाने पर विशेष ध्यान दिया गया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व निर्धन परिवारों के बच्चों की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन विशेष छात्रवृत्ति कपड़ा दान दिया गया। आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी व अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोले गए। दिव्यांग छात्रों को सामान्य छात्रों के समान शिक्षा की व्यवस्था की गई। प्रौड़ शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम लागू किए गए। इसका प्रचार–प्रसार भी रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से किया गया।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005

बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का आरंभ रविंद्र नाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के अंत से होता है जिसमें साथ खेलने वाले बच्चों में से एक बच्चे को महंगा खिलौना मिल जाता है उस खिलौने को पाकर कुछ ऐसे दूर चला जाता है और एकांकी हो जाता है। टैगोर के शब्दों में "अपनी उत्तेजना में वह एक चीज भूल गया वह तत्व जो उस वक्त उसे बहुत मामूली लगा था कि प्रलोभन में एक ऐसी चीज खो गई जो कि खिलौने से कहीं श्रेष्ठ थी। एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चा उस खिलौने से महज उसका धन व्यक्त होता था, बच्चे की रचनात्मक ऊर्जा नहीं, न ही उसके खेल में बच्चे का आनंद था और न ही उसके खेल की दुनिया में साथियों को खुला निमंत्रण।" ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा गया। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त व यह सुनिश्चित किया गया कि पाठ्यचर्या का इस प्रकार संवर्धन हो कि वह बच्चों को चहुंमुखी विकास के अवसर मुहैया कराएं न कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया गया और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा गया।

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में 1 अप्रैल 2010 से 6 से 14 वयवर्ग के बच्चों के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान एवं प्रधानों को पूर्ण करने के लिए कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए गए। ऐतिहासिक दृष्टि से 1870 में ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित होने के उपरांत सर्वप्रथम हर एक बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की मांग ज्योतिबा फुले द्वारा 1882 में हंटर कमीशन से की गई थी। 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की बैठक में सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था किंतु वित्तीय संसाधनों का अभाव का कारण बताकर बच्चों को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया। संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद–45 के अनुसार "राज्य संविधान के लागू होने के 10 साल की अवधि में सभी बच्चों के लिए जब तक की 14 साल की आयु को प्राप्त नहीं कर लेते, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।"86 वा संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21, सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें, उपबंध करेगा। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 45 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद स्थानापन्न किया "राज्य सभी बच्चों को जब तक वह अपने 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेते, बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। "संविधान के अनुच्छेद 51–, में धारा (जे०) के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी गई धारा (के) यदि माता–पिता का संरक्षण 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।" इसके फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ। 4 अगस्त 2009 को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के रूप में पारित तथा लगभग एक शताब्दी के बाद 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया शिक्षा का अधिकार अब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है

तथा राज्य प्रत्येक बच्चे को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन०ई०पी) 2020

जीवन में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी। विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को तैयार करने के लिये विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी। जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव माँगे गए थे। प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के.कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता,और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना हैं। एन.ई.पी–2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना की जाएगी। इतना ही नहीं राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। वहीं कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें बच्चे कोई स्किल सीख पाए। बच्चों की इंटर्नशिप भी होगी, जिसमें वो मैकेनिक अथवा तकनीकी आधार पर कोई कार्य सीख सकता है। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से ही बच्चों का शिक्षण परियोजना आधारित होगा। कोडिंग सिखाई जाएगी। इसमें स्कूल के आखिर चार साल एकसमान माना गया है। मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि जैसे– संगीत,खेल आदि है, तो उसे भी एक विषय के रूप में चयन कर सकेगा। प्रारंभिक शिक्षा 3–8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन किया गया पहला 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी,बालवाटिका, प्री–स्कूल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा 6–8 वर्ष तक के बच्चें कक्षा 1 व 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ई.सी.सी.ई में प्रारंभिक शिक्षा को लचीली, बहुआयामी, बहु–स्तरीय, खेल व गतिविधि आधारित शिक्षा को शामिल किया गया। एन.ई.पी–2020 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना की मांग की गई है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान को 2026–27 तक एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के तौर पर निर्धारित किया गया है। स्कूली स्तर पर पढ़ने–लिखने के आधारभूत कौशल हैं। बच्चे अपने स्तर के अनुसार पुस्तक व अन्य सामग्री पढ़ पाएं, शुरुआती गणितीय संक्रियाएं आदि सहजता से कर पाएं। भाषा के संदर्भ में पढ़ने को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। भाषायी विविधता को संरक्षण दिया गया। कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार किये गये। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी। 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' तैयार की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक किये गये।

एन.ई.पी–1986 और एन.ई.पी–2020 में अंतर

इक्कीसवीं शताब्दी में पदार्पण से पूर्ण भारत सरकार ने 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के सार्विकीकरण का आश्वासन दिया। यह आश्वासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) के प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया था। इसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एक मिशन रूप में किया गया, जिसका अर्थ था कि परियोजनाओं के स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा कार्यान्वयन संबंधी समय सीमा और माइलस्टोन निर्धारित किए गए। इसके अतिरिक्त मापनीय निष्पत्तियाँ स्पष्ट की गई तथा प्रत्येक स्तर पर उचित सहायता दी गई। पहले जहाँ शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाया जाता था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एन.ई.पी–1986 की तुलना में नई शिक्षा नीति 2020 अत्यंत व्यापक, लचीली और संकल्पबद्ध है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आँगनवाड़ी/बालवाटिका/प्री–स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' की उपलब्धता सुनिश्चित करना। वहीं 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में, कक्षा–1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षा और नैतिकता

आज के परिदृश्य में जबकि उच्छृंखलता और उन्माद की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हो रही है, आत्म और पर का बोध संबंधों को जटिल बना रहा है, लोभ–लालच और स्वार्थ की वृत्ति में सत्य, ईमानदारी और न्याय–निष्ठा का लोप हो रहा है। तब यह जरूरी हो जाता है कि शिक्षा में नैतिक मूल्यों का अधिक से अधिक समावेश हो । नीति की संयुक्ति ही नैतिकता है।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के प्रबंधन के लिए सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.)

सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का संकेत कम्प्यूटर, कम्प्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो तथा श्रव्य दृश्य उपकरणों और अन्य ऐसे उपकरण जिनका प्रयोग नेटवर्क या इंटरनेट एक्सेस डिवासों के रूप में होता है, की ओर है। वे छात्रों जिनकी पहुँच आसानी से सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी तक है विभिन्न क्रियाकलाप में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। आई.सी.टी. संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा उपकरणों की उपलब्धता होते हुए भी बहुत से छात्रों की अभिगम्यता इन तक नहीं होती। अतः वे इन का उपयोग नहीं कर पाते। सूचना तथा आई.सी.टी. के प्रति विभेदी अभिगम्यता को प्रायः 'डिजिटल

डिवाइड की संज्ञा दी जाती है। सूचना तथा आई.सी.टी. उपभोग के तीन चालक हे। ज्ञान समाज, आर्थिक विकास तथा संपन्नता के सृजन के लिए शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा केवल वह साधन ही नहीं हैं। जिसके द्वारा व्यक्ति समाज और अर्थव्यवस्था में कुशल भागीदार बनते हैं। वैश्विक महामारी कोविड–19 अवधि मैं आईसीटी का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ इसमें अध्यापकों के द्वारा ऑनलाइन क्लास को मोबाइल, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर के द्वारा व ऑडियो रिकॉर्ड करके व गूगलमीट व माइक्रोसॉफ्ट टीमवीवर की मदद से किया गया। जो कोविड–19 में अध्यापकों द्वारा किया गया बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। सरकार के द्वारा भी छात्रों को घर पर पढ़ने के विभिन्न संसाधन उपलब्ध थे और है जैसे दीक्षा एप, रीडएलोंग ऐप, रेडियो पर कार्यक्रम, दूरदर्शन पर प्रसारण, निपुण लक्ष्य ऐप, यूट्यूब पर एस.सी.ई.आर.टी. के प्रोग्राम, अध्यापकों द्वारा अपने फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शिक्षण सामग्री प्रेषित करना व विभिन्न सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए एनीमेटेड शैक्षिक वीडियो बनाकर छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करना और आग्रह करना की इन विडियो को जरुर देखें व छात्रों की समस्या का समाधान किया। विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं ने भी छात्रों के शैक्षिक स्तर को बनाए रखने के लिए काम किया, इसमें कई एन. जी.ओ. सामने आए जैसे अरविंदो सोसाइटी, एचडीएफसी बैंक द्वारा ZIIEI इनोवेटिव पाठशाला ऐप, संपर्क शाला ऐप आदि हैं। उपरोक्त सभी गतिविधियां आई.सी.टी. के माध्यम से ही संभव हो पाई हैं। आई.सी.टी. का प्रयोग दूरदराज गांव में बैठे छात्रों के लिए बहुत ही रामबाण साबित हुआ है। जिन छात्रों के पास फोन उपलब्ध है व नेट की सुविधा है। वह छात्र अन्य छात्रों को ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी या यूट्यूब क्लास के सहयोग से जुड़कर लाभान्वित हुए हैं।

मिशन प्रेरणा, निपुण भारत (NIPUN) आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता

बेसिक शिक्षा में एक अभियान के तौर पर पहले मिशन प्रेरणा कोविड–19 में ऑनलाइन पाठ्य सामग्री देने में बहुत अच्छा रोल रहा और अब निपुण भारत (NIPUN) आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल अभियान 5 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा प्रदेशो में लागू किया गया है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में बहुत बदलाव किए गए हैं। विद्यालय को सुंदर और बेहतर बनाने हेतु कायाकल्प अभियान द्वारा भी विद्यालयों का जीर्णोद्धार हुआ है। आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता हेतु अधिगम परिणामों की दिशा में बढ़ना। अधिगम मूल्यांकन, शिक्षक की भूमिका, एस.सी.ई.आर. टी/डायट के माध्यम से शैक्षणिक सहायता, दीक्षा डिजिटल संसाधनों की डिपॉजटरी, अभिभावक और सामुदायिक सहभागिता, मिशन क्रियान्वयन में विभिन्न हित धारकों की भूमिका, बालवाटिका, कक्षा–1,2,3 के लिए लक्ष्य निर्धारण, जिससे विद्यालयों की दशा और दिशा में सुधार हुआ है। जिसमें सबसे पहले छात्रों की शिक्षा में कक्षा 1 से 3 तक बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के आधार पर ज्ञान अर्जित कराना। जिसको प्राप्त करने का लक्ष्य 2026–27 रखा गया है। निपुण छात्र बनाने का अभियान निपुण विद्यालय, निपुण ब्लाक, निपुण जनपद, प्रदेश व छात्रों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्य हो रहा हैं।

शिक्षको के लिए चुनौती

एक बच्चे के जीवन मे उसकी प्रारंभिक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक बच्चा कैसा बनेगा ये उसकी प्राथमिक शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर उनकी प्राथमिक शिक्षा अच्छी हुई है तो उसके सही मानसिक विकास की संभावना बढ़ जाती है नहीं तो विपरीत भी संभव है। जब हम प्राथमिक शिक्षा अच्छी होने की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है और वह यह है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक ही विद्यार्थियों को बनाने व बिगाड़ने में उसकी मदद करता है। हम सभी जानते हैं कि देश में प्राथमिक विद्यालयों की क्या स्थिति है देश में, किस तरह की सुविधाएँ है प्राथमिक विद्यालयों में ऐसी स्थिति एक शिक्षक के सामने विपरीत परिस्थितियां पैदा करती है। वेसे वर्तमान सरकार द्वारा काफी सुधार किए हैं। अभिभावकों का सहयोग मिलना भी जरुरी परन्तु उनकी भी कुछ पारिवारिक, आर्थिक मजबूरियां हैं। शिक्षकों का दायित्व है कि वे अभिभावकों का सहयोग लेकर बच्चे के विकास में अपना योगदान दें। मौजूदा सत्र शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। चुनौती यह कि कैसे सभी बच्चों में आधारभूत कौशलों का विकास किया जाए जिससे वे सत्र के आखिर तक अपने कक्षा स्तर पर पहुंच पाएं। यह एक व्यापक शैक्षणिक चुनौती है। बुनियादी भाषा व गणित को ध्यान में रखकर काम करते हुए अभिभावकों का सहयोग लेकर ही इन चुनौतियों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

अतः यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक शालाओं में बच्चों को पढ़ना–लिखाना सिखाना एक सार्थक व सकारात्मक माहौल व अभिभावकों के सहयोग से ही संभव है। जहाँ बच्चों को पढ़ने–लिखने के लिए समृध्द अवसर दिए जाएं। लिखित सामग्री से भरपूर कक्षाएँ बच्चों को लगातर पढ़ने की प्रक्रिया से जोड़े रखती हैं व लिखित सामग्री और मौखिक भाषा के बीच एक संबंध स्थापित करने में सहायक होती हैं। इसके साथ ही कक्षा में रोचक व सौंदर्य पूर्ण साहित्य की उपलब्धता। बच्चों में किताबों और साहित्य के प्रति पढ़ने का रुझान भी पैदा करती हैं। पढ़ने को लेकर बच्चों का यह रुझान ही उनमें समझकर पढ़ने की योग्यता को विकसित करने में भी मदद करता है। साथ ही कक्षा में शिक्षको का, बच्चों के सीखने के प्रति, एक सकारात्मक रवैया भी बच्चों में पढ़ने की इच्छा को बढाता हैं। परंतु अभी भी बेसिक शिक्षा में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार चाहे तो वह सब कुछ कर सकती है। अध्यापकों को केवल जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई है उनको वही काम करने दे। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों जैसे बालगणना, जनगणना, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी, पोलियो ड्यूटी, बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी, निर्वाचन ड्यूटी, विद्यालय निर्माण, विद्यालयों में छात्रों के लिए भोजन, फल वितरण, दूध, छात्रों की ड्रेस, बेसिक के अध्यापकों की अन्य विभागों में अतिरिक्त ड्यूटिया लगना आदि से अगर पृथक रखा जाए। अगर अध्यापक को अध्यापक के कार्यो का आकलन कर/विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति से, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायट प्रवक्ता, डायट प्राचार्य आदि बनने के रास्ते खोल दिया जाए तो, एक यह भी रास्ता हो सकता है, बेसिक शिक्षा में परिवर्तन लाने का अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र पहले अन्य विभाग जेसे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर के सभी परीक्षाओं को देते हैं जब कहीं चयन नहीं हो पाता तो अध्यापक बनने के बारे में सोचते है अगर इस प्रकार के रास्ते खोल दिए गए तो छात्र उसी प्रकार अध्यापक बनने के लिए भी मनोयोग से आया करेंगे।

सन्दर्भ सूचि

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में किए गए संशोधनों सहित) भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पेज 8–10
4. श्रीमती किरण सिंह, International Journal of scientific Research in Science and Technology], 2017, 3.

5. डॉ वी०के० शर्मा, संगीता देवी, भारत में प्राथमिक शिक्षा का एक परिदृश्य, Volume IV, July 2019, पेज1, A publication of motherhood University Roorkee
6. प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी०एल०एड०) पाठ्यक्रम–501 ब्लॉक–2 पृष्ठ–6,7,69 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान,62–नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर–प्रदेश
7. संवाद, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में शिक्षक हस्त पुस्तिका, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मडराक, अलीगढ़
8. राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल (निपुण भारत) राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन विवरणिका 2021
9. अलका त्रिपाठी, अंजली बाजपेयी, प्राथमिक शिक्षा व शिक्षकों से जुड़ी विपरीत परिस्थितियाँ एवं उनका सामना, प्रारंभिक शिक्षक,शैक्षिक संवाद की पत्रिका वर्ष 42, अंक4, अक्तूबर 2018, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली, लेख 8.
10. डॉ० नंदकिशोर हटवाल, डॉ० डी०डी० गौतम,शैक्षिक प्रवाह, चातुर्मासिक, वर्ष 4, अंक 10 मई– अगस्त 2022, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, 134 डोडाकन्नेली, निकट विप्रो कारपोरेशन कार्यालय, सरजापुर रोड, बैंगलोर 560035
11. प्रो० नंदकिशोर पाण्डेय, टीना यादव, शैक्षिक उन्मेष, खंड–3, अंक–2 पौष–फाल्गुन 2076 / जनवरी– मार्च 2020,अध्यापक शिक्षा विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
12. गिरीश्वर मिश्र, शिक्षा का आशय, भारतीय आधुनिक शिक्षा वर्ष 39 अंक 4 अप्रैल 2019
13. डॉ प्रदीप कुमार तिवारी, प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरणः समस्या व समाधान, IJCRT Volume 9] Issue 5 May 2021